रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253052
CG-DL-E-15032024-253052

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945**
No. 193]	**NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सं. 19/2024-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 206(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) तालिका में, क्रम संख्या 526क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"526क.	8703	विद्युत चालित वाहन, यदि आयात किया जाता है-			
		(1) अधूरा या बिना तैयार किया गया, बैटरीपैक, मोटर, मोटर नियंत्रक, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनिटर, कॉन्टैक्टर, ब्रेक सिस्टम इलेक्ट्रिक दबाव सहित एक संपूर्ण वाहन को संयोजित करने के लिए आवश्यक घटकों, भागों या उप- संयोजन युक्त नॉकडाउन किट के रूप में, चाहे व्यक्तिगत रूप से पूर्व-संयोजन के साथ या नहीं, के साथ –			
		(क) उपरोक्त घटकों, भागों या उप-संयोजन में से कोई भी एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और चेसिस पर नहीं लगाया गया है	15%		
		(ख) उपरोक्त घटकों, भागों या उपसंयोजन में से - कोई एकदूसरे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन चेसिस पर नहीं लगाया गया है	35%		
		(2) उपरोक्त (1) के सिवाय किसी अन्य रूप में-			
		(क) यूएस $40,000 से अधिक सीआईएफ मूल्य के साथ	100%	-	
		(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य	70%	-	-
		(ग) भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा का.आ. संख्या 1363 (अ) दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्द्धन स्कीम' के प्रावधानों के अनुसार आयातित न्यूनतम सीआईएफ मूल्य यूएस $35,000 के साथ।	15%	-	117";
		बशर्ते कि इस क्रम संख्या में मद (2)(ग) में शामिल कुछ भी 31 मार्च, 2031 के बाद प्रभावी नहीं होगा।		-	-
		स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए, इस प्रविष्टि की मदों (1) (क) और (1) (ख) में अन्तर्विष्ट छूट उपलब्ध होगी, यद्यपि यदि संयोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक घटकों, भागों या उप-संयोजनों की आवश्यकता हो एक पूर्ण वाहन किट में आयात नहीं किया जाता है, परन्तु कि प्रस्तुत किट, निर्वचन के साधारण नियमों के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के शीर्षक 8703 के अधीन वर्गीकरणीय है।";		- -	-

(2) अनुबंध में, शर्त संख्या 116 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)
“117.	यदि आयातक, आयात के समय, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव या वरिष्ठ अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि, - (i) आयातक के पास भारी उद्योग मंत्रालय का.आ. संख्या 1363 (अ) दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा अधिसूचित 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण संवर्द्धन स्कीम ' के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी वैध अनुमोदन पत्र है। (ii) आयातक उपरोक्त स्कीम की शर्तों को पूरा करता है और आयात किए जाने वाले वाहनों की मात्रा उपरोक्त स्कीम के पैरा 1.3.5 और 1.3.6 में निर्धारित सीमा के भीतर है; और (iii) आयातक आयातित माल के संबंध में इस छूट के अनुदान के लिए पात्र है।” ।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेक्शन –सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 12 मार्च, 2024, जिसे सा.का.नि. 183 (अ), दिनांक 12 मार्च, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

No. 19/2024-Customs

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(1) in the Table, for S. No. 526A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526A.	8703	Electrically operated vehicles, if imported,- (1) incomplete or unfinished, as a knocked down kit containing necessary components, parts or sub-assemblies for assembling a complete vehicle, including battery pack, motor, motor controller, charger, power control unit, energy monitor, contactor, brake system, electric compressor, whether or not individually pre-assembled, with – (a) none of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other and not mounted on a chassis	15%		

		(b) any of the above components, parts or sub-assemblies inter-connected with each other but not mounted on a chassis	35%		
		(2) in a form other than (1) above, -		-	-
		(a) with a CIF value more than US $40,000	100%		
		(b) other than (a) above	70%		
		(c) with a minimum CIF value of US $35,000 imported in terms of provisions of the ‘Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India’ notified *vide* S.O. No. 1363 (E) dated 15th March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries:	15%	-	117”;
		Provided that nothing contained in item (2)(c) in this S. No. shall have effect after the 31st March, 2031.		- -	
		***Explanation.* –** For the removal of doubts, the exemption contained in items (1)(a) and (1)(b) of this entry shall be available, even if one or more of the components, parts or sub-assemblies required for assembling a complete vehicle are not imported in the kit, provided that the kit as presented, is classifiable under the heading 8703 of the Customs Tariff Act, 1975 as per the general rules of interpretation.		-	

(2) in the Annexure, after condition number 116 and the entry relating thereto, the following condition number and entry shall be inserted, namely: -

(1)	(2)
“117.	If the importer, at the time of import, furnishes a certificate from an officer not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Heavy Industries (MHI) to the effect that,- (i) the importer holds a valid Approval Letter issued by the Ministry of Heavy Industries under the ‘Scheme to promote manufacturing of electric passenger cars in India’ notified *vide* S.O. No. 1363 (E) dated 15th March, 2024, by the Ministry of Heavy Industries; (ii) the importer satisfies the conditions of the aforesaid scheme and the quantity of the vehicles being imported is within the limits prescribed in Para. 1.3.5 and para. 1.3.6 of the aforesaid scheme; and (iii) the importer is eligible for grant of this exemption in respect of the goods being imported.”.

[F. No. CBIC-190354/42/2024-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 16/2024-Customs, dated the 12th March, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 183(E), dated the 12th March, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2024

सं. 20/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 207(अ).—वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018, के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 57 के समक्ष, मद (iv) के बाद और शब्दों "के अंतर्गत आने" से पहले, निम्नलिखित मद को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(v) स्तंभ (3), क्रम सं. 526क की मद (2) की उपमद (ग);"

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/42/2024-टीआरयू सेक्शन –सीबीईसी]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा.का.नि.सं. 114(अ), दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.सं. 54(अ), दिनांक 22 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

No. 20/2024-Customs

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 110 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2018- Customs, dated the 2nd February, 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 114 (E), dated the 2nd February, 2018, namely :-

In the said notification, in the Table , against Sl. No 57, in column (2), after item (iv), and before the words "of the Table", the following item shall be inserted, namely: -

"(v) column (3), sub-item (c) of item (2) of S. No. 526A;".

[F. No. CBIC-190354/42/2024-TRU Section-CBEC]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 11/2018-Customs, dated the 2nd February, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 114(E), dated the 2nd February, 2018 and last amended *vide* notification No. 4/2024-Customs, dated the 22nd January, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 54 (E), dated the 22nd January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 16:46:52 +05'30'